

Bihar State University (Constituent College) Service Commission (Repeal) Bill, 2007

A

Bill

To repeal the Bihar State University (Constituent College) Service Commission Act, 1987 (Bihar Act 18, 1987).

Preamble – Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the fifty eighth year of the Republic of India as follows:-

1. Short title, extent and commencement- (1) This Act may be called the Bihar State University (Constituent College) Service Commission (Repeal) Act, 2007

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force at once.

2. Definitions - In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context: -

(a) "Committee of Secretaries" means committee of secretaries constituted under sub section (ii) of section 4.

3. Repeal of Bihar Act 18, 1987 – The Bihar State University (Constituent College) Service Commission Act 1987 (Bihar Act 18, 1987) is hereby repealed.

4. Adjustment of employees of Bihar State University (Constituent College) Service Commission –(i)

On and from the date of repeal of the Act, all employees of the Commission, shall remain in employment, as if the Act has not been repealed and they shall continue to be paid same salary and allowances as was payable on the date of repeal of the Act till such time State Government takes such final decision as provided hereinafter.

(ii) The State Government shall constitute a Committee of Secretaries consisting of three Secretaries to the State Government, who shall prepare a detailed scheme of absorption, retirement, compulsory retirement or voluntary retirement, other service conditions of employees of the Commission. Scheme prepared by the Committee of Secretaries shall be placed before the State Government within three months from the date of enforcement of the present Act for its approval.

It shall be open to the State Government to modify, amend or suggest modification or amendment in the scheme and the scheme thereafter shall be

made operational in such form and intent as finally approved by the State Government. The scheme approved by the State Government shall be considered as statutory scheme framed under this Act.

(iii) After the scheme approved by the State Government is enforced, it shall be fully implemented in its form and intent within three months from the date of its enforcement.

(iv) The Committee of Secretaries constituted under Sub Section (ii) above shall be competent to decide utility and deployment of employees of the Commission during transit period and it shall not be open to any employee to question decision of the Committee of Secretaries.

Provided that the State Government shall be competent to amend, modify, alter or substitute the scheme so framed for removal of the difficulties in implementation of the scheme.

5. Assets and liabilities – All the assets and properties of Bihar State University (Constituent College) Service Commission whether movable or immovable including lands, building, stores, vehicle, books, cash balance, reserve fund, investements, furnitures and others shall stand transferred and vested on, and be deemed to have come into the possession of the State Government and all the liabilities and obligations of the commission under any agreement or contract entered into bonafide before the commencement of this Act shall devolve and shall be deemed to have been devolved on the State Government.

6. Bar of Law Suit – No law suit and proceedings shall lie in civil courts with respect to the implementation of the provisions of this Act.

7. Savings – Notwithstanding repeal of Bihar State University (Constituent College) Service Commission Act 1987 (Bihar Act 18, 1987), anything done or any action taken in accordance with the provision of the said Act, if pending shall be decided under the provision of the said Act as if this Act is not repealed for this purpose.

बिहार राज्य विश्वविद्यालय (अंगीभूत महाविद्यालय) सेवा आयोग (निरसन) विधेयक, 2007
[बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित]

बिहार राज्य विश्वविद्यालय (अंगीभूत महाविद्यालय) सेवा आयोग अधिनियम, 1987 (बिहार अधिनियम 18, 1987) को निरसित करने के लिए विधेयक ।

प्रस्तावना ।— भारत गणराज्य के अठारवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा यह निम्न रूप में अधिनियमित हो:-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ** — (1) यह अधिनियम बिहार राज्य विश्वविद्यालय (अंगीभूत महाविद्यालय) सेवा आयोग (निरसन) अधिनियम, 2007 कहा जा सकेगा ।
 - (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।
 - (3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा ।
2. **परिभाषाएँ** ।— इस अधिनियम में जब तक कोई बात विषय या सन्दर्भ के विरुद्ध न हो—
 - (क) " सचिवों की समिति" से अभिप्रेत है धारा 4 की उपधारा (ii) के अधीन गठित सचिवों की समिति ।
3. **बिहार अधिनियम 18, 1987 का निरसन** ।— बिहार राज्य विश्वविद्यालय (अंगीभूत महाविद्यालय) सेवा आयोग अधिनियम, 1987 (बिहार अधिनियम 18, 1987) एतद् द्वारा निरसित किया जाता है ।
4. **बिहार राज्य विश्वविद्यालय (अंगीभूत महाविद्यालय) सेवा आयोग के कर्मचारियों का समायोजन** । —
 - (i) अधिनियम के निरसन की तिथि से आयोग के कर्मचारी अपनी सेवा में बनें रहेंगे जैसे कि अधिनियम का निरसन नहीं हुआ हों और उन्हें अधिनियम के निरसन की तिथि को देय वेतन एवं भत्ता का भुगतान तब तक किया जाता रहेगा जब तक कि राज्य सरकार इसके बाद के प्रावधानों के अनुसार अन्तिम निर्णय न ले लें ।
 - (ii) राज्य सरकार, सरकार के तीन सचिवों को मिलाकर एक समिति गठित करेगी जो आयोग के कर्मचारियों के आमेलन, सेवानिवृत्ति, अनिवार्य सेवा निवृत्ति, ऐच्छिक सेवानिवृत्ति आयोग के कर्मचारियों की अन्य सेवा शर्तों की एक विस्तृत योजना तैयार करेगी । सचिवों की समिति द्वारा तैयार यह योजना वर्तमान अधिनियम के प्रवर्तन की तिथि से तीन माह के भीतर राज्य सरकार के समक्ष उसके अनुमोदन के लिए उपस्थापित करेगी । राज्य सरकार को इस योजना को उपांतरित करने, संशोधन करने अथवा उपांतरण या संशोधन करने का सुझाव देने का अधिकार होगा और उसके बाद वह योजना उस प्ररूप एवं आशय से जो राज्य सरकार द्वारा अन्तिम रूप से अनुमोदित की जाए, प्रवर्तनीय होगी । राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित योजना इस अधिनियम के अधीन बनाई गई कानूनी योजना मानी जाएगी ।

(iii) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित योजना के प्रवर्तन के बाद इसके प्रवर्तन की तिथि से तीन माह के भीतर अपने प्ररूप एवं आशय से पूर्ण रूप से क्रियान्वित की जायेगी ।

(iv) उपर उप धारा—(ii) के अधीन गठित सचिवों की समिति संक्रमण की अवधि में आयोग के कर्मचारियों की उपादेयता तथा पदस्थापन पर निर्णय लेने हेतु सक्षम होगी तथा सचिवों की समिति के निर्णय को प्रश्नगत करने का अधिकार किसी कर्मचारी को नहीं होगा:

परन्तु राज्य सरकार इस योजना के क्रियान्वयन में किसी कठिनाई को दूर करने के लिए उस प्रकार बनाई गई योजना को संशोधित करने, उपांतरित करन, बदलने अथवा प्रतिस्थापित करने में सक्षम होगी ।

5. **आस्तियों एवं दायित्व** ।— बिहार राज्य विश्वविद्यालय (अंगीभूत महाविद्यालय) सेवा आयोग की सभी आस्तियों एवं सम्पत्तियों, ऋण, भवन, भण्डार, वाहन, पुस्तकें, नगद अधिशेष, आरक्षित निधि, निवेश, फर्निचरों एवं अन्य सहित, चाहे चल या अचल हों, राज्य सरकार के कब्जे में, अंतरित एवं निहित हो जायेगी और आ गयी समझी जायेगी तथा इस अधिनियम के आरम्भ के पूर्व सद्भाव पूर्वक किया गया कोई एकरारनामा या की गयी संविदा के अधीन आयोग के सभी दायित्व तथा बाध्यताएँ राज्य सरकार को न्यायगत हो जायेगी और न्यायगत हो गयीं समझी जायेगी ।
6. **विधि वादों का वर्जन** ।— इस अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन के संबंध में कोई विधि वाद एवं कार्यवाही सिविल न्यायालयों में संस्थित नहीं होगी ।
7. **व्यावृत्ति** । — बिहार राज्य विश्वविद्यालय (अंगीभूत महाविद्यालय) सेवा आयोग अधिनियम, 1987 (बिहार अधिनियम 18, 1987) के निरसन के होते हुए भी, उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया गया कुछ भी या की गयी कोई कार्रवाई, यदि लम्बित हो, उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अधीन निपटाया जायेगा या निपटायी जायेगी मानों यह अधिनियम इस प्रयोजनार्थ निरसित नहीं किया गया हो ।